

राजस्थानसरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प०.१./2023/६१०

दिनांक : १७/०३/२०२३

—: आदेश :—

वित्तीय वर्ष 2022-24 की ROP में वर्णित एनएचएम कण्डिशनलिटी फ्रेम वर्क (NMHP) के सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नोडल अधिकारी (जिला)
1.	डॉ० संजय पामेचा, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन)	जिला चिकित्सालय लालसोट, दौसा	दौसा



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प०.१./2023/६१०

दिनांक : १७/०३/२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 माननीय विशिष्ट सहायक, चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 मिशन निदेशक, एनएनएच, मुख्यालय।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
- 6 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 7 संबंधित चिकित्सकों को विभागीय वैबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
- 9 रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।